संख्या- 10/2017/ 907 /अडतीस-7-2017-19/एसीएस/आरडी/2017

प्रेषक,

एन0एस0रवि,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 29 जून, 2017**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत श्रमिकों की मजदूरी का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कतिपय जनपदों में श्रमिको को मजदूरी के भुगतान में विलम्ब किया जा रहा है, जबकि अधिनियम के अन्तर्गत 15 दिन के भीतर श्रमिकों को मजदूरी भुगतान किये जाने की बाध्यता है और ऐसा न करना अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके साथ ही ऐसे मामलों में संबंधित श्रमिकों को क्षतिपूर्ति भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी कहना है कि मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी का भुगतान मजदूरों को आधार लिंक्ड बैंक खातों में डिजिटली किया जा रहा है, किन्तु कहीं-कहीं पर यह शिकायत सामने आयी है कि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बैंक खातों के ए0टी0एम0 कार्ड अपने पास रख लिये गये हैं और वे उनके जरिए श्रमिकों के खातों को ऑपरेट कर धनराशि निकाल रहे हैं। यह एक आपराधिक कृत्य है और भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रमिकों को मजदूरी के समय से भुगतान सुनिश्चित कराने के साथ ही बैंक खातों के ए0टी0एम0 कार्ड अपने पास रखकर उसके जरिए श्रमिकों के खातों को ऑपरेट कर धनराशि निकालने की शिकायत मिलने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) थाने में दर्ज करायी जाय और अपराधी व्यक्तियों को दण्डित करने में स्थानीय पुलिस का समुचित सहयोग किया जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एन0एस0रवि)
अपर मुख्य सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 10/2017/907 (1)/अड़तीस-7-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त का अनुपालन समस्त जनपदों में सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देश प्रसारित कराने तथा मुख्य विकास अधिकारियों के साथ होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से इसकी समीक्षा कराने का कष्ट करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त परिक्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
5. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।
7. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।